प्रेस विज्ञप्ति
29.08.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने गोवा के एक निवासी के साथ हुए "डिजिटल अरेस्ट" साइबर धोखाधड़ी से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के अंतर्गत 27.08.2026 को भूषण सूर्यकांत मोये, विलास नारायण पवार और शैलेश दगडू चव्हाण को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गोवा ने उन्हें 01.09.2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या पांच हो गई है। फहीम मोइन हुसैन सैयद और नईम मुईन सैयद को 23.08.2026 को गिरफ्तार किया गया था।

ईडी ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, उत्तर गोवा द्वारा 09.06.2025 को दर्ज एफआईआर संख्या 17/2025 के आधार पर जांच शुरू की थी। इसमें पीड़िता को वीडियो कॉल पर रखा गया, उसे यह विश्वास दिलाया गया कि उसके विरुद्ध आपराधिक जांच चल रही है और उसे "गुप्त पर्यवेक्षण खातों" के रूप में गलत तरीके से बताए गए खातों में 2,60,33,634/- रुपये स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया।

ईडी की जांच में सामने आया कि धनराशि एक ऐसे संगठित तंत्र में पहुंची, जिसका उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त अपराध से अर्जित आय को बैंकिंग क्रेडिट के रूप में प्राप्त करना, उसे नकदी में परिवर्तित करना और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण रूप से कार्यरत मनी चेंजर लाइसेंस रखने वाली कंपनियों के माध्यम से उस नकदी को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करना था। धनराशि को 400 से अधिक लाभार्थी खातों में विभाजित किया गया और ऐसी कंपनियों तक पहुंचाया गया, जिनके रिकॉर्ड में निदेशक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास कोई साधन नहीं था, जबकि खातों का संचालन अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा था, जिससे अपराध से अर्जित आय को बेदाग संपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। इन संस्थाओं के खाते 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 330 पीड़ित शिकायतों और 163 प्रथम सूचना रिपोर्टों से संबंधित हैं, जिनमें 417.49 करोड़ रुपये की कथित हानि हुई है तथा इन खातों के माध्यम से 27,850 करोड़ रुपये से अधिक के बैंकिंग लेन-देन किए गए हैं।

चार्टर्ड अकाउंटेंट भूषण सूर्यकांत मोये ने उसे उपलब्ध कराए गए पहचान दस्तावेजों के आधार पर नेटवर्क की 21 कंपनियों को निगमित किया तथा इन कंपनियों और उनके 43 डमी निदेशकों को एक ही समूह के रूप में संचालित किया। उन्होंने अलग-अलग कार्यों के बजाय एक ही प्रक्रिया के रूप में इन सभी के आयकर रिटर्न दाखिल किए। विलास नारायण पवार ने आरटीजीएस प्रविष्टियों की व्यवस्था की, जिनके माध्यम से दूषित धनराशि नेटवर्क के खातों तक पहुंची, जबकि शैलेश दगडू चव्हाण ने इन हस्तांतरणों के बदले नकदी उपलब्ध कराई। तीनों के परिसरों में 21.08.2026 को तलाशी ली गई। 17.07.2026 की तलाशी के बाद भी धन शोधन की गतिविधि जारी रही और 23.08.2026 को उनकी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले तक चलती रही, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ आवश्यक हुई।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।